

कमांक/EMRS/G-48/2025-26/15577

रायपुर दिनांक 25/03/2026

--:: स्वीकृति आदेश ::--

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना अंतर्गत शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षण सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को अनावर्ती मद में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS नई दिल्ली द्वारा प्राप्त राशि से **“पूँजीगत व्यय मदांतर्गत”** नीचे दर्शित एकलव्य विद्यालयों के समक्ष कॉलम नं. 05 में दर्शित कुल राशि रुपये **42,20,000/-** (शब्दों में रुपये बयालीस लाख बीस हजार मात्र) PFMS के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को निम्नानुसार आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्रं.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	पूँजीगत मद में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	जगदलपुर	बकावण्ड	EMRS करपावण्ड	0.50
2		बस्तर	EMRS बेसोली	0.50
3		तोकापाल	EMRS मेटावाड़ा	0.50
4		लोहांडीगुड़ा	EMRS गधियों	0.50
5		बास्तानार	EMRS कोडेनार	0.50
6		दरभा	EMRS छिंदवाड़ा	0.50
7	कांकेर	अंतागढ़	EMRS लाम्कन्हार	0.50
8		कांकेर	EMRS अंजनी	0.50
9		नरहरपुर	EMRS सुरही	0.50
10		भानुप्रतापपुर	EMRS फरासकोट	0.50
11		दूर्गकोंदल	EMRS भंडारडिगी	0.50
12	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	EMRS कटेकल्याण	0.50
13		दंतेवाड़ा	EMRS दंतेवाड़ा	0.50
14		गीदम	EMRS हड़म	0.50
15		कुआकोण्डा	EMRS कुआँकोण्डा	0.50
16	बीजापुर	भैरमगढ़	EMRS भैरमगढ़	0.50
17		बीजापुर	EMRS बीजापुर	0.50
18		उसूर	EMRS दुगईगुड़ा	0.50
19		भोपालपट्टनम	EMRS रुद्राराम	0.50
20	नारायणपुर	नारायणपुर	EMRS छेरीबेड़ा	1.00
21		ओरछा	EMRS छोटेडोंगर	0.50
22	सुकमा	सुकमा	EMRS सुकमा	0.50
23		कोंटा	EMRS एराबोर	0.50
24		छिंदगढ़	EMRS बलातीकरा	0.50

6

क्रं.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	पूँजीगत मद में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
25	कोण्डागांव	कोण्डागांव	EMRS गोलावंड	0.50
26		फरसगांव	EMRS चिचाड़ी	0.50
27		केशकाल	EMRS बेडमा	0.50
28		बड़ेराजपुर	EMRS कोरगांव	0.50
29		माकड़ी	EMRS माकड़ी	0.50
30	कोरिया	सोनहत	EMRS घुघरा	1.00
31	एम.सी.बी.	खड़गांव	EMRS पोड़ीडीह	0.50
32		भरतपुर	EMRS जमथान	0.50
33	जशपुर	बगीचा	EMRS सन्ना	0.50
34		जशपुर	EMRS घोलेंग	0.50
35		कांसाबेल	EMRS दुढरुडांड	0.50
36		पथलगांव	EMRS सुखरापारा	0.50
37		फरसाबहार	EMRS फरसाबहार	0.50
38		मनोरा	EMRS मनोरा	0.50
39		मैनपाट	EMRS कमलेश्वरपुर	0.50
40	सरगुजा	उदयपुर	EMRS रीखी	0.50
41		बतौली	EMRS शिवपुर	0.50
42		सीतापुर	EMRS पेतला	0.50
43		लूण्ड्रा	EMRS लूण्ड्रा	1.00
44	सूरजपुर	भैयाथान	EMRS शिवप्रसादनगर	0.50
45		प्रतापपुर	EMRS खोरमा	0.50
46		ओड़गी	EMRS ओड़गी	0.50
47		प्रेमनगर	EMRS पार्वतीपुर	0.50
48	बलरामपुर	बलरामपुर	EMRS भेलवाडीह	0.50
49		कुसमी	EMRS रामनगर	1.00
50		वाङ्गफनगर	EMRS बरतीकला	0.50
51		राजपुर	EMRS डांडखडुवां	0.50
52		शंकरगढ़	EMRS डीपाडीह	0.50
53		रामचंद्रपुर	EMRS नवापारा	0.50
54	कबीरधाम	बोडला	EMRS तरेगांव जंगल	0.50
55	राजनांदगांव	राजनांदगांव	EMRS पेण्डी	0.50
56	मोहला-मानपुर-चौकी	मानपुर	EMRS ख्वासफड़की	0.50
57		मोहला	EMRS माडिंग फीडिंग धेनु	0.50
58	बालोद	डौंडी	EMRS डौण्डी	0.50
59	गरियाबंद	छुरा	EMRS कोसमबुड़ा	0.50
60		मैनपुर	EMRS देहागुड़ा	0.50
61	बलौदाबाजार	कसडोल	EMRS सोनाखान	0.50
62	महासमुन्द	महासमुन्द	EMRS भोरिंग	1.00
63	धमतरी	नगरी	EMRS पथरीडीह	0.50

क्रं.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	पूँजीगत मद में आवंटित राशि
1	2	3	4	5
64	गौरेला- पेण्ड्रा- मरवाही	मरवाही	EMRS डोंगरिया	0.70
65		पेण्ड्रा	EMRS लाटा	0.50
66		गौरेला	EMRS नेवसा	0.50
67	रायगढ़	खरसिया	EMRS छोटेमुड़पार	1.00
68		धरमजयगढ़	EMRS बयासी	1.00
69		घरघोड़ा	EMRS छर्राटांगर	1.00
70		लैलूंगा	EMRS लैलूंगा	0.50
71	कोरबा	कटघोरा	EMRS छुरीकला	1.00
72		पाली	EMRS लाफा	0.50
73		पोड़ीउपरोड़ा	EMRS रामपुर	0.50
74	सक्ती	सक्ती	EMRS पलाड़ीखुर्द	0.50
75	मुंगेली	लोरमी	EMRS बंधवा	0.50
योग				42.20

(शब्दों में रुपये बयालीस लाख बीस हजार मात्र)

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार है :-

1. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesfinance/160/2021-22, दिनांक 01.05.2025 द्वारा जारी मदवार ब्रेकअप एवं सक्षम अधिकारी को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत पूँजीगत मद में आवंटित राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी "सामान्य वित्तीय नियमावली 2017" में उल्लेखित अद्यतन प्रावधानों के अनुसार तथा शासन द्वारा समय-समय पर सामग्री कय हेतु निर्धारित भंडार कय नियमों एवं अद्यतन वित्तीय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
3. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/F.NESTS/Finance/EMRS SocietiesFinance/160/2021-22, दिनांक 15.10.2024 द्वारा जेम पोर्टल के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुये पूँजीगत मद अंतर्गत सामग्रियों का कय अनिवार्य रूप से भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के Government e-Marketplace (GeM पोर्टल) के माध्यम से सामग्रियों एवं सेवाओं का कय किया जाना सुनिश्चित करें।
4. सामग्री कय एवं सेवाओं के प्रकरणों में फर्मों से प्राप्त देयकों में नियमानुसार IT-TDS एवं GST-TDS की कटौती अनिवार्य रूप से की जावे तथा समय-सीमा के भीतर कटौती राशि का चालान के माध्यम से भुगतान कर निर्धारित अवधि में रिटर्न फाइल कराना सुनिश्चित करें, विलंब की स्थिति में पेनाल्टी/ब्याज अधिरोपित होने पर संस्था प्रमुख/प्राचार्यों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावेगी, जिसके लिये वे स्वयं जवाबदेह होंगे।



उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आवंटित की जा रही है, जिस मद में राशि आवंटित की गई है उसी मद में ही व्यय किया जावे तथा जिस खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है उसी खाते से केवल PFMS के माध्यम से ही राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय पत्रक भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NESTS/Finance/EMRSSocietiesFinance/160/2021-22, दिनांक 28.08.2025 द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में भेजना सुनिश्चित करें।
7. प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।

(आयुक्त/पदेन सचिव द्वारा स्वीकृत)

संयुक्त संचालक (वित्त)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़
नवा रायपुर दिनांक 25/03/2026

पृ. क्रमांक/EMRS/G-48/2025-26/15578
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मा. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला-..... (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, एकलव्य शाखा (लेखा) मुख्यालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राशि संबंधित विद्यालय के संयुक्त खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
5. आहरण एवं सवितरण अधिकारी, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव, आदिवासी विकास एवं जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला-..... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त संचालक (वित्त)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़